भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 644

18 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: फलों और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएं

644 श्री नीरज डांगी :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार फलों और सब्जियों का कितना-कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) सब्जियों और फलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

(ग) क्या सरकार की फलों और सब्जियों के विपणन में सहायता प्रदान करने की योजना है, ताकि सब्जियों और फलों के किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(ड.) देश में सब्जियों और फलों के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): देश में पिछले तीन वर्षों में सब्जियों एवं फलों के उत्पादन का राज्य-वार विवरण क्रमश: **अनुबंध-I** तथा **II** पर है।

(ख): सरकार बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) चला रही है। एमआईडीएच के दायरे में सभी राज्य एवं केंद्र शासित राज्य कवर किए जाते हैं। मिशन में रोपण सामग्री के उत्पादन, सब्जी बीज उत्पादन, उन्नत कल्टिवर वाले क्षेत्र का कवरेज, जरा-जीर्ण बगीचों का जीर्णोद्धार, संरक्षित जुताई, जल स्रोतों का सृजन, समेकित पोषक-तत्व प्रबंधन (आईएनएम) समेकित पेस्ट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाना, जैविक खेती, जिसमें जैविक आदानों का उसी स्थान पर उत्पादन शामिल है जैसे गतिविधियों के लिए सहायता के माध्यम से फलों एवं सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार की परिकल्पना करती है।

(ग) एवं (घ): बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 से लागू एक केंद्रीय प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत टर्मिनल मंडियो, थोक बाजारों, ग्रामीण बाजारों, अपनी मंडी, रिटेल मंडियों/आउटलेट की स्थापना और फूड चैम्बर के साथ सांख्यिकीय मोबाइल वेडिंग कैरट/प्लैटफॉर्म की स्थापना जैसी विपणन अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। संग्रहण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि के लिए वित्तीय अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु भी सहायता दी जाती है।

सरकार ने किसानों एवं किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) को प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों की पारदर्शी मूल्य प्राप्ति करने के अवसर प्रदान करने वाला एक आनलाइन वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफार्म राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) भी कार्यान्वित कर रही है।

कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) स्कीम के माध्यम से निजी मंडियों, प्रत्यक्ष विपणन, घोषत वेयरहाउसेस, सीलोस, शीतागारों को डीम्ड मंडियों के रूप में विकास करने तथा ग्रामीण कृषि मंडियों (जीआरएएमएस) को ग्रामीण हाट मे विकसित करने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकार अब “10,000 किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन” नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रही है जिससे सदस्य किसान उत्पादकों को अपनी उपज के लिए बेहतर तरलता एवं मंडी संपर्कों के माध्यम से लागत प्रभावी उत्पादन एवं उच्च निवल आय में वृद्धि हो सकेगी और उसे सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्थायी बनाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए अतिरिक्त चैनल मुहैया कराने तथा बाधा मुक्त अंतर-राज्य एवं अंतरा राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 5 जून, 2020 को कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (सवंर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया है। अब, किसान अपने फार्मगेट से, आवास से प्रसंस्करण इकाइयां, वेयरहाउस सीलोस, शीत गोदाम आदि जो उनके फार्म गेट के निकटतम हैं से अपने उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं। किसान कृषि विपणन के मौजूदा प्रणाली में बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा परिवहन लागत गैर-सरकारी मंडी शुल्क भुगतान, कमिशन शुल्क तथा अन्य विपणन शुल्कों में बचत करने में भी सक्षम हुए हैं।

(ङ.): सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से देश में सब्जियों एवं फलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है और उन्नत किस्मों का विकास करना, अनुवंशिक विविधता का संरक्षण, नर्सरी उत्पादन हेतु संरक्षित जुताई, सूक्ष्म पोषकतत्व सूत्रीकरण रोपण सामग्री, फसल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों, संरक्षक किसानों के माध्यम से संरक्षण जैसे क्षेत्रों में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु नियमित वैज्ञानिकों किसानों की अंतराफलक बैठकों की व्यवस्था की जाती है।

रा.भा.अता.प्र.सं.644

अनुबंध-I

कुल सब्जियों का राज्य-वार उत्पादन

'000 टन में उत्पादन

क्र. सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20 (तीसरी अग्रिम अनुमान)
1	आंध्र प्रदेश	6911.79	7559.55	7711.55
2	अरुणाचल प्रदेश	16.60	17.39	17.39
3	असम	3293.01	3479.21	3673.88
4	बिहार	15865.30	16528.07	16327.53
5	छत्तीसगढ़	7003.59	7081.29	7088.82
6	गुजरात	12265.49	12550.47	13153.59
7	हरियाणा	7155.80	7325.06	6113.32
8	हिमाचल प्रदेश	1807.03	1755.43	1856.80
9	जम्मू और कश्मीर	1226.64	1337.12	1337.12
10	झारखंड	3475.42	3508.32	3575.93
11	कर्नाटक	8395.33	7338.81	7519.51
12	केरल	2517.27	2709.37	2757.05
13	मध्य प्रदेश	17545.50	17970.26	19832.27
14	महाराष्ट्र	12322.72	11356.15	13642.86
15	मणिपुर	342.17	356.04	391.35
16	मेघालय	519.70	514.75	515.87
17	मिजोरम	171.06	200.45	181.70
18	नागालैंड	555.12	455.08	453.65
19	ओडिशा	8765.61	8670.13	7937.16
20	पंजाब	4928.35	5207.36	5537.82
21	राजस्थान	1675.29	1652.62	1877.34
22	सिक्किम	229.10	231.40	231.40
23	तमिलनाडु	6406.01	5669.27	8928.58
24	तेलंगाना	2753.80	2574.30	2128.58
25	त्रिपुरा	795.78	808.78	811.67
26	उत्तर प्रदेश	27895.08	27787.99	26194.61
27	उत्तराखंड	999.65	1006.30	1018.36
28	पश्चिम बंगाल	27697.34	27014.55	28113.03
29	अन्य	505.25	504.12	535.25
	कुल	**184040.79**	**183169.61**	**189463.97**

रा.भा.अता.प्र.सं.644

अनुबंध-II

कुल फलों का राज्य-वार उत्पादन

'000 टन में उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20 (तीसरा अग्रिम अनुमान)
1	आंध्र प्रदेश	15215.85	16995.65	17515.92
2	अरुणाचल प्रदेश	125.70	125.84	125.84
3	असम	2123.62	2166.77	2562.30
4	बिहार	4207.30	4403.70	4256.21
5	छत्तीसगढ़	2666.20	2496.74	2480.64
6	गुजरात	8996.02	9218.86	9253.75
7	हरियाणा	793.35	1178.92	1197.97
8	हिमाचल प्रदेश	565.26	495.36	828.23
9	जम्मू और कश्मीर	2355.19	2414.21	2541.16
10	झारखंड	1081.69	1118.37	1148.11
11	कर्नाटक	7133.94	6759.16	7055.40
12	केरल	2045.75	1801.66	1731.44
13	मध्य प्रदेश	7416.91	7544.52	7916.39
14	महाराष्ट्र	11728.66	10777.72	11544.26
15	मणिपुर	455.59	454.77	527.97
16	मेघालय	316.51	406.87	393.51
17	मिजोरम	340.51	347.02	344.91
18	नागालैंड	380.52	314.10	315.05
19	ओडिशा	2402.30	2349.23	1917.07
20	पंजाब	1908.85	2001.69	2106.12
21	राजस्थान	761.95	968.45	1004.60
22	सिक्किम	54.90	55.45	55.45
23	तमिलनाडु	5680.52	5623.78	5662.37
24	तेलंगाना	1939.39	2012.81	2077.12
25	त्रिपुरा	547.52	559.90	562.46
26	उत्तर प्रदेश	10539.78	10657.75	10952.73
27	उत्तराखंड	669.94	664.66	674.21
28	पश्चिम बंगाल	3850.56	3905.31	3614.14
29	अन्य	142.73	147.41	82.45
	अखिल भारतीय कुल	**96447.00**	**97966.66**	**100447.76**

*****